संकल्प संख्या: 03 / न०प्र०नि० / Islamnagar- Ranchi / 04 / 2017 4284

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

राँची / दिनांकः 21/08/18

विषयः– इस्लाम नगर, राँची में 444 आवास के निर्माण हेतु रु० 33,04,11,800/– (तैंतीस करोड़ चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या–1833 दिनांकः 18.03.2017 में संशोधन के संबंध में।

आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का संवैधानिक दायित्व नगर विकास एवं आवास विभाग का है। विदित हो कि इस्लाम नगर, राँची में सरकारी भूमि पर 15–20 वर्षों से अनिधिकृत रूप से लोग रह रहे थे। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के क्रम में वहाँ रहने वाले लोग विस्थापित हो गए। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर उन विस्थापित लोगों को उसी जगह पर पुनर्वास करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–1833 दिनांकः18.03.2017 निर्गत किया गया है।

2. तदोपरांत उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद के "वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद" से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 376 दिनांक 18.03.2017 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में राज्यांश की राशि कुल 15.00 करोड़ रूपये सर्वश्री जुडको रांची को आंवटित की गयी।

3. कालान्तर में उक्त योजना पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2017 को आयोजित 28वीं CSMC की बैठक में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक **"भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण"** अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते हुए 444 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान की राशि निम्नवत् है :–

केन्द्रांश	– 6,66,00,000.00	(प्रति आवास रु० 1,50,000/– स्वीकृत है)
राज्यांश	– 24,16,11,800.00	
लाभुक अंशदान	– 2,22,00,000.00	(प्रति आवास रु० 50,000/– प्रस्तावित है)
कुल लागत राशि	– **33,04,11,800.00**	

4. योजना स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि का प्रथम किस्त (40%) कुल 266.40 लाख रूपये आवंटित की गई है। स्वीकृत राज्यांश राशि कुल रु० 2416.1180 लाख में से पूर्व में राज्य योजना मद से 15.00 करोड़ रूपये की निकासी की गयी है तथा शेष रु० 916.118 लाख की निकासी PMAY(U) योजना के राज्यांश मद से किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त कंडिका–3 में वर्णित केन्द्रांश की निर्गत राशि के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं० 1833 दिनांक 18.03.2017 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :–

<table>
<tr><th>कंडिका सं०</th><th>पूर्व में निर्गत प्रावधान</th><th colspan="3">संशोधित प्रावधान</th></tr>
<tr><td rowspan="5">कंडिका – 8</td><td rowspan="5">उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं उत्तरोत्तर वर्षो में राशि का वहन निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव हैः–

मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80– सामान्य–लधुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष– 79– वृहद् शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना– विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) –48P221780796790679</td><td colspan="3">उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं उत्तरोत्तर वर्षो में राशि का वहन निम्नांकित बजट शीर्षो से किया जाएगाः–</td></tr>
<tr><td>अनुदान</td><td>बजट शीर्ष</td><td>राशि (रु०)</td></tr>
<tr><td>केन्द्रांश</td><td>मुख्यशीर्ष–2217– शहरी विकास– उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लधुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना– उपशीर्ष– 89–प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान(केन्द्रांश)–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान –79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)– 48C221780796890679</td><td>66600000</td></tr>
<tr><td>राज्यांश</td><td>मुख्यशीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लधुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष–79–वृहद् शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)– 48P221780796790679</td><td>150000000</td></tr>
<tr><td>राज्यांश</td><td>मुख्यशीर्ष–2217– शहरी विकास– उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लधुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना– उपशीर्ष– 89–प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान(राज्यांश)–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान –79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)– 48S221780796890679</td><td>916118000</td></tr>
</table>

6. इस्लाम नगर, राँची में 444 आवास के निर्माण हेतु रु० 33,04,11,800/– (तैंतीस करोड़ चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या–1833 दिनांकः 18.03.2017 की प्रतिलिपि संलग्न है।
7. योजना का कार्यान्वयन विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या –301 दिनांकः 11.03.2015 के कंडिका 1.1 के आलोक में योजना पर दिनांकः 10.07.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं0 – 11 के रूप मे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 03/न०प्र०नि०/Islamnagar- Ranchi/04/2017....4284 राँची/दिनांकः 21.08.18
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रकाशनोपरांत संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 03/न०प्र०नि०/Islamnagar- Ranchi/04/2017....4284 राँची/दिनांकः 21.08.18
प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 03/न०प्र०नि०/Islamnagar- Ranchi/04/2017 4284 राँची/दिनांकः 21/08/18

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, झारखण्ड,राँची/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना —सह—वित्त विभाग,झारखण्ड,राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अध्यक्ष —सह—प्रबंध निदेशक,जुडको लि०, राँची/निदेशक,नगरीय प्रशासन निदेशालय/प्रमण्डलीय आयुक्त,दक्षिणी छोटानागपुर/उपायुक्त,राँची/नगर आयुक्त,नगर निगम राँची/परियोजना निदेशक(तकनीकी),जुडको लि०,राँची/संयुक्त सचिव(शहरी)नगर विकास एवं आवास विभाग/आतंरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/अवर सचिव,बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।